


Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief
07/07/2024	<p>आज की तारीख 07/07/2024 को पत्रावली नं. 359 का निर्णय सुनाया गया।</p>	
04/09/2024	<p>आज की तारीख 04/09/2024 को पत्रावली नं. 35 का निर्णय सुनाया गया।</p>	
06/11/2024	<p>पत्रावली पेंडा हूमी उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष कक्ष बरस सुनी जायी। उभय पक्ष बरस एवं पत्रावली में उपलब्ध इस्तावेजों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय सति जायी के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः जायी का निर्णय- पत्र स्वीकार योग्य होने के बावजूद स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 01/12/2022 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्ताब्द तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार होकर रजि नम्बर से कम होकर वाद तस्मीर राजेश दस्तर है। निर्णय आज दिनांक 06/11/2024 को मेरे तय लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">               सहायक जज (पत्रावली)              (कलकत्ता)         </p>	

